

जेल में बंद Santa Clara काउंटी मतदाताओं के लिए मतदान अधिकार



2021 से, ऐसे व्यक्तियों को अनुमति देने के लिए कानून को अद्यतन किया गया है, जो पैरोल पर हैं और मतदान के अधिकार की अन्य सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं।

जिन व्यक्तियों को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, वे केवल तब मतदान के लिए अयोग्य हैं जब वे कारागार, जेल, या अन्य सुधार सुविधाओं में अपने राज्य की या संघीय सजा पूरी कर रहे हैं। आपका पंजीकरण और मतदान का अधिकार आपकी सजा पूरी होने पर स्वतः बहाल हो जाता है।

आप मतदान के लिए पंजीकरण कर सकते हैं यदि आप:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं
- California के निवासी हैं
- मतदान के दिन या उससे पहले 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं
- वर्तमान में किसी गंभीर अपराध की सजा के लिए कैद नहीं हैं; तथा
- न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया गया है

हाँ! आप मतदान कर सकते हैं यदि आप:

- काउंटी जेल में किसी छोटे अपराध की सजा काट रहे हैं
- काउंटी जेल में हैं क्योंकि जेल का समय एक परिवीक्षा की शर्त है
- परिवीक्षा पर हैं
- पैरोल पर हैं
- अनिवार्य पर्यवेक्षण पर हैं
- छूटने के बाद सामुदायिक पर्यवेक्षण पर हैं

आप मतदान नहीं कर सकते हैं यदि आप:

वर्तमान में किसी गंभीर अपराध की सजा के लिए राज्य या संघीय जेल में हैं:

- राज्य कारागार
- संघीय कारागार
- काउंटी कारागार या अन्य सुधार सुविधा*

*यदि आप किसी राज्य या संघीय जेल की सजा काट रहे थे तो आपके राज्य या संघीय जेल की सजा पूरी होने पर आपका मतदान का अधिकार स्वतः बहाल हो जाता है। बस [Registertovote.ca.gov](https://registertovote.ca.gov) पर मतदाता पंजीकरण आवेदन ऑनलाइन पूरा करें या एक कागजी मतदाता पंजीकरण आवेदन पत्र भरें। आप हमारे कार्यालय को (408) 299-VOTE (8683) पर फोन करके मतदाता पंजीकरण आवेदन पत्र आपको मेल करने का अनुरोध कर सकते हैं।

मतदान के लिए पंजीकरण कैसे करें:


जेल मतदान समन्वयक से मतदाता पंजीकरण आवेदन पत्र का अनुरोध करें। आप ऑनलाइन मतदान के लिए registertovote.ca.gov पर पंजीकरण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

आपका मतदाता पंजीकरण आवेदन पत्र चुनाव के दिन से कम से कम पंद्रह (15) दिन पहले प्राप्त या पोस्टमार्क होना चाहिए। मतदान के लिए पंजीकरण करने के बाद, आपको उस चुनाव की तारीख से 29 दिन पहले एक मतपत्र भेजा जाएगा जिसमें आप मतदान करने के योग्य हैं।

डाक द्वारा मतदान:

यदि आप मतदान करने के लिए पहले से पंजीकृत हैं और डाक द्वारा मतदान का मतपत्र प्राप्त नहीं किया है, तो आप अपने जेल मतदान समन्वयक से डाक द्वारा मतदान मतपत्र आवेदन का अनुरोध कर सकते हैं। अपना मतपत्र प्राप्त करने के लिए चुनाव से कम से कम 7 दिन पहले डाक द्वारा मतदान मतपत्र फॉर्म भरें और जेल मतदान समन्वयक को वापस कर दें।

यदि आप अपना नाम या पार्टी वरीयता बदलते हैं तो आपको एक नया मतदाता पंजीकरण आवेदन पत्र भरना होगा। आप जेल मतदान समन्वयक से मतदाता पंजीकरण आवेदन पत्र का अनुरोध कर सकते हैं।



आपातकालीन मतपत्र वितरण कार्यक्रम:

यदि आपको डाक द्वारा मतदान का मतपत्र डाक द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपातकालीन वितरण कार्यक्रम आपको चुनाव से 7 दिन पहले तक मतपत्र का अनुरोध करने की अनुमति देता है। जेल मतदान समन्वयक एक "सुविधा समन्वयक आवेदन" को भर कर आपकी ओर से मतपत्र का अनुरोध कर सकता है।

7 दिन की अवधि के बाद, किसी समन्वयक को मतपत्र लेने के लिए कार्यालय में आना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, अपन जेल मतदान समन्वयक से आपातकालीन मतपत्र वितरण कार्यक्रम के बारे में पूछें।

हिरासत से रिहा होने के बाद:

यदि आपने डाक द्वारा मतदान मतपत्र का अनुरोध किया है लेकिन आपको अपना मतपत्र प्राप्त होने से पहले हिरासत से रिहा रखा कर दिया गया है, तब भी आप मतदान कर सकते हैं। किसी भी मतदान केंद्र या मतदाता रजिस्ट्रार कार्यालय पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करें। दोबारा मतपत्र जारी करने का अनुरोध करने के लिए, आप हमारे कार्यालय को (408) 299-VOTE (8683) पर भी कॉल कर सकते हैं या हमार वेबसाइट sccvote.org पर जाएं।